

सीमा शुल्क आयुक्त, नई दिल्ली

बनाम

मै. बूरक्स इंटरनेशनल और अन्य

24 मई 2007

(डॉ. अरिजीत पसायत और लोकेश्वर सिंह पंटा, जे.जे.)

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 धारा 76 और 113 (सी) और (डी):

सेवा दोष - माल का निर्यात - धारा 113 (डी) के तहत सभी सामानों को जप्त करने का आदेश देते हुये राजस्व अधिकारियों द्वारा खेप की जब्ती- अपील को अधिकरण में यह कहते हुये अनुमति दी कि अधिकारियों के पास प्रश्नगत माल को जब्त करने की कोई पंक्ति नहीं थी और कोई सामग्री नहीं रखी गई थी, यह दिखाने के लिए कि सामान बिलों में बताये गये सामान के विवरण के अनुरूप नहीं है- अपील में कहा गया कि अधिकरण को निर्देश दिया जाता है कि वह अपनी उच्च पीठ द्वारा निर्धारित और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित समान मुद्दे के प्रकरण ओमप्रकाश भाटी बनाम सी.आई.टी दिल्ली के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुये नये सिरे से विचार करें।

इन अपीलों में निर्धारण के लिए यह प्रश्न उठाया गया था यदि निर्यात के तहत माल का बाजार मूल्य दावा की गई वापसी की राशि से बहुत कम है, तो क्या ऐसे सामान को सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए अधिकारियों द्वारा जप्त किया जा सकता है।

राजस्व ने तर्क दिया कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 113 (1) (सी) और (डी) लागू होती है क्योंकि वे तीन प्रकार के सामानों से निपटते हैं यानी उत्पाद शुल्क योग्य सामान, निषिद्ध सामान और निर्यात के लिए दर्ज किये गये सामान; कि निर्धारिती ने पुराने और प्रयुक्त बने-बनाये कपड़ों का निर्यात करने का प्रयास किया जो सेवा नियमों के नियम 3 के तहत स्वीकार्य नहीं है; कि बाजार मूल्य शुल्क वापसी से कम था जो अधिनियम की धारा 76 (1) (बी) के तहत स्वीकार्य नहीं था; और सी ई जी ए टी द्वारा अधिनियम की धारा 113 (सी) और (डी) के प्रावधानों की गलत व्याख्या की गयी है और कारण बताओं नोटिस की सामग्री का ठीक से विश्लेषण नहीं किया गया है।

न्यायालय, ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया कि:

01. यह सीईजीएटी के लिए उचित होगा, जिसने उच्च पीठ के फैसले के प्रभाव पर विचार नहीं किया था। जिसे ओमप्रकाश भाटी बनाम

सीआईटी, दिल्ली के मामले में निर्धारित सिद्धांतों को इस न्यायालय की मंजूरी मिली थी ताकि अपीलों को ध्यान में रखते हुए दुबारा सुनवाई की जा सके।

ओमप्रकाश भाटी बनाम सीमा शुल्क आयुक्त, दिल्ली (2003) 6 एससीसी 161, निर्भर है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4559-4561/2002

अपील संख्या सी/171-173/01-एनबी में सीईजीएटी, नई दिल्ली के अंतिम निर्णय और आदेश संख्या ए/242-244/2002/एनबी-डी दिनांक 06.02.2002 से उत्पन्न।

अपीलकर्ता की ओर से; पी. विश्वनाथ शेटी, वरिष्ठ वकील, एस.जे अरस्तु और बी कृष्णा प्रसाद।

उत्तरदाताओं की ओर से; जोसेफ वेल्लापल्ली, वरिष्ठ वकील, मुकेश वर्मा, मनीष शंकर, एमआर शमषाद, प्रवेश ठाकुर, यषपाल ढींगरा, और आषिष मोहन।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश डॉ. अरिजीत पसायत द्वारा दिया गया।

1. चूंकि ये सभी अपीलें समान प्रश्न से संबंधित हैं इसलिए उन्हें इस सामान्य निर्णय द्वारा निपटारे के लिए लिया जाता है।

2. मूल मुद्दा यह है कि जब निर्यात के तहत माल का बाजार मूल्य दावा की गई वापसी की राशि से बहुत कम है, तो क्या ऐसे माल को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (संक्षेप में 'अधिनियम') के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए जप्त किया जा सकता है। सिविल अपील संख्या 4559-4561/2002 से संबंधित मामलों में, प्रतिवादी ने शुल्क वापसी के दावे के तहत निर्यात के लिए आईसीडी, टीकेडी, नई दिल्ली के निर्यात शेड को एक खेप भेजी थी। खुफिया सूचना के आधार पर, राजस्व निदेशालय, खुफिया (संक्षेप में डीआरआई) ने खेप को हिरासत में लिया। प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि माल बिलों में बताये गए विवरण, मात्रा व मूल्य के अनुसार नहीं था। डीआरआई द्वारा अलग-अलग तारीखों पर उत्तरदाताओं की खेप की जांच की गई।

3. आर. 1 की खेप की जांच डीआरआई द्वारा 7.1.1999 और 12.01.1999 को की गई। आर 2 की खेप की जांच डीआरआई द्वारा

18.01.1999 और 25.01.1999 को की गई, आर. 3 की खेप की जांच डीआरआई द्वारा 14.01.1999 और 08.02.1999 को की गई।

4. सीमाशुल्क आयुक्त ने अधिनियम की धारा 113 (डी) और (आई) के तहत सभी सामानों को जप्त करने का निर्देश दिया और 10 लाख रुपये के जुर्माने के भुगतान पर इसे भुनाने की अनुमति दी, बने-बनाये कपड़ों की निर्यात की अनुमति नहीं दी। वस्त्र और वापिसी का दावा कोई दण्डात्मक कार्यवाही लागू नहीं की गई क्योंकि डीआरआई ने अधिनियम के तहत प्रदान दण्डात्मक धारा के संबंध में अलग से निर्णय लेने पर विचार किया था।

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, और सोना (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में 'सीईजीएटी') के समक्ष अपील की गई जिसने यह कहते हुए अपील की अनुमति दी की जब्त करने की कोई शक्ति नहीं थी और यह सुझाव देने के लिए रिकॉर्ड में कोई सामग्री नहीं रखी गई थी कि सामान बिल में की गई आवश्यक प्रविष्टि से मेल नहीं खाता है। किसी भी महत्वपूर्ण प्रविष्टि और एफओबी की शुद्धता और बिल में निर्दिष्ट वस्तुओं के विवरण पर विवाद नहीं किया गया है।

5. अपील के समर्थन में अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क प्रस्तुत किया कि धारा 113 (1) (डी) और (सी) लागू होती है, क्योंकि वे तीन प्रकार के सामानों से संबंधित है, अर्थात उत्पाद शुल्क योग्य सामान,

निषिद्ध सामान और निर्यात के लिए दर्ज किये गये सामान। उत्तरदाताओं ने पुराने और प्रयुक्त बने-बनाये वस्त्र आदि निर्यात करने का प्रयास किया जो सेवा नियमों के नियम 3 के तहत स्वीकार्य नहीं है। बाजार मूल्य शुल्क वापसी से कम था जो अधिनियम की धारा 76 (1) (बी) के तहत स्वीकार्य नहीं था। सी ई जी ए टी ने अधिनियम की धारा 113 (डी) और (सी) के प्रावधानों की गलत व्याख्या की है। कारण बताओं नोटिस की सामाग्री का ठीक से विश्लेषण नहीं किया गया।

6. दूसरी ओर उत्तरदाता के विद्वान वकील ने सीईजीएटी के आदेश का समर्थन किया।

7. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सीईजीएटी की कई पीठों के बीच राय के मतभेद को देखते हुए, मामले को एक उच्च पीठ को भेजा गया था और संबंधित मामले में निर्धारती द्वारा उच्च पीठ के फैसले की आलोचना की गई थी। इस न्यायालय के समक्ष ओमप्रकाश भाटी बनाम सीमा शुल्क आयुक्त दिल्ली (2003) 6 एससीसी 161 में अन्य बातों के साथ-साथ, यह नियमानुसार देखा गया था:

“6. शुरुआत में कहेंगे की अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने धारा 76 के विशिष्ट प्रावधान को ध्यान में रखते हुए कमी

के लिए दबाव नहीं डाला है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान है कि किसी भी सामान के संबंध में कोई कमी की अनुमति नहीं दी जावेगी” (बी) जिसका बाजार मूल्य उस पर देय वापसी की राशि से कम है इसलिए वापसी प्राप्त करने के उद्देश्य से, प्रासंगिक विचार देश में प्रचलित वस्तुओं का बाजार मूल्य है, ना कि विदेशी क्रेता से जो वस्तु की कीमत निर्यातक द्वारा प्राप्त करने की उम्मीद की जाती है।

7. अगला-चूकि माल की जब्ती का आदेश अधिनियम की धारा 113 (डी) का हवाला देकर पारित किया जाता है, हम उसी का उल्लेख करेंगे जो इस प्रकार है:-

“ 113. अनुचित तरीके से निर्यात करने का प्रयास किये गये माल की जप्ती आदि- निम्नलिखित निर्यात माल जप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(डी) किसी भी सामान को निर्यात करने के उद्देश्य से किसी सीमा शुल्क क्षेत्र की सीमा के भीतर निर्यात या लाने का प्रयास किया गया इस अधिनियम या उस समय लागू किसी

अन्य कानून द्वारा या उसके तहत लगाये गये किसी भी निषेध के विपरीत है।

8. उपरोक्त धारा प्राधिकरण को अधिनियम या किसी अन्य लागू कानून के तहत या उसके तहत लगाये गये किसी भी निषेध के विपरीत निर्यात किये जाने का प्रयास किये गये किसी भी सामान को जप्त करने का अधिकार देती है। इसीलिए, उक्त प्रावधान को लागू करने के लिए यह स्थापित करना आवश्यक है कि माल का निर्यात उस समय लागू किसी भी कानून के तहत लगाये गये किसी भी निषेध के विपरीत था।

9. इसके अलावा अधिनियम की धारा 2 (33) “निषिद्ध माल” को इस प्रकार परिभाषित करती है:-

“निषिद्ध माल” का अर्थ है कि कोई भी सामान जिसका आयात या निर्यात इस अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत किसी भी निषेध के अधीन है, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी सामान शामिल नहीं है जिसका आयात का निर्यात उसको लागू शर्तों की अनुपालना में किया गया है।”

10. उपरोक्त परिभाषा से, यह कहा जा सकता है कि (ए) यदि अधिनियम या किसी अन्य लागू कानून के तहत माल के आयात या निर्यात पर कोई प्रतिबंध है तो उसे निषिद्ध माल माना जावेगा; और (बी) इसमें ऐसा कोई भी सामान शामिल नहीं होगा जिसके संबंध में उन शर्तों का अनुपालन किया गया है जिनके अधीन सामान आयात या निर्यात किया जाता है। इसका मतलब यह होगा कि यदि किसी सामान को आयात या निर्यात के लिए निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया जाता है, तो उसे प्रतिबंधित सामान माना जायेगा, यह धारा 11 से भी स्पष्ट होगा, जो केन्द्र सरकार की मंजूरी से पहले या बाद में पूरी की जाने वाली शर्तों के अधीन बिल्कुल या ऐसी शर्तों के अधीन जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है, माल के आयात या निर्यात पर रोक लगाने का अधिकार देता है। कोई निर्दिष्ट विवरण अधिसूचना उप धारा (2) में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए जारी की जा सकती है। इसलिए आयात या निर्यात पर प्रतिबंध माल की निकासी से पहले या बाद में पूरी की जाने वाली कुछ निर्धारित शर्तों के अधीन हो सकता है यदि शर्त पूरी नहीं की जाती है तो यह प्रतिबंधित सामान की श्रेणी में आ सकता है, यह शेख मोहम्मद ओमर बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर, कलकत्ता और अन्य (1970) 2 एसएससी 728 के मामले में इस न्यायालय द्वारा भी स्पष्ट किया गया है। जिसमें यह तर्क दिया गया था कि धारा 111 (डी) में प्रयुक्त निषेध को पूर्ण निषेध माना जाना चाहिए यह अभिव्यक्ति आयात नियंत्रण आदेश 1955 के खण्ड (3) द्वारा लगाये

गये प्रतिबंधों को अपने दायरे में नहीं लाती है। न्यायालय ने उक्त तर्क को खारिज कर दिया और इस प्रकार अभिनिर्धारित किया कि:-

“धारा 111 का खण्ड (डी) कहता है कि कोई भी सामान जो “इस देश में लागू किसी भी कानून द्वारा लगाये गये किसी भी निषेध” के विपरीत आयात किया जाता है या आयात करने का प्रयास किया जाता है, जप्त किया जा सकता है। इस धारा में उल्लिखित “कोई भी निषेध” सभी प्रकार के “निषेध” पर लागू होता है, जो निषेध पूर्णतः या आंशिक हो सकता है। आयात या निर्यात पर कोई भी प्रतिबंध एक हद तक निषेध है। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 111 (डी) में अभिव्यक्त किसी भी निषेध में प्रतिबंध शामिल है केवल इसलिए कि आयात और निर्यात (नियंत्रण अधिनियम) 1947 की धारा 3 अलग-अलग अभिव्यक्तियों “निषेध”, “प्रतिबंधित” या “ अन्यथा नियंत्रित” का उपयोग करती है, हम अधिनियम की धारा 111(डी) में किसी भी निषेध शब्द के आयाम में कटौती नहीं कर सकते हैं। कोई भी निषेध का अर्थ हर निषेध है दूसरे शब्दों में सभी प्रकार के निषेध प्रतिबंध एक प्रकार का निषेध है। आयात नियंत्रण आदेश 1955 के मद (1) की अनुसूची 1, भाग IV से यह

स्पष्ट है कि सभी प्रकार के जीवित जानवरों का आयात निषिद्ध है लेकिन कुछ अपवाद भी दिये गये हैं लेकिन फिर भी रोक जारी है।

15. उपरोक्त प्रावधान के अलावा माल के वास्तविक निर्यात मूल्य का पता लगाने के लिए अधिनियम की धारा 14 प्रासंगिक प्रक्रिया प्रदान करती है। धारा 14 को धारा 2 (41) के साथ पढा जाना चाहिए जो मूल्य शब्द को परिभाषित करती है धारा 2 (41) इस प्रकार है:-

“धारा 2 (41) - “मूल्य”, किसी भी सामान के संबंध में धारा 41 की उपधारा 1 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित उसका मूल्य है।

इसके बाद धारा 14 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

“14” मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए माल का आकलन -  
(1) सीमा शुल्क टेरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51)  
या उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रयोजन के लिए  
जिसके तहत किसी भी सामान पर सीमा शुल्क लगाया

जाता है उनके मूल्य के संदर्भ में ऐसे माल का मूल्य माना जायेगा-

वह कीमत जिस पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार के दौरान, जैसा भी मामला हो, ऐसे या समान सामान आम तौर पर बेचे जाते हैं या आयात या निर्यात के समय और स्थान पर डिलीवरी के लिए बिक्री के लिए पेश किये जाते हैं, जहां विक्रेता और खरीददार के बीच कोई संबंध नहीं होता है एक दूसरे के व्यवसाय में रुचि और कीमत बिक्री या बिक्री के प्रस्ताव के लिए एक मात्र विचार है:

बशर्त है कि, ऐसी कीमत की गणना उस तारीख को लागू विनियमन दर के संदर्भ में की जायेगी, जिस दिन धारा 46 के तहत प्रविष्टि बिल प्रस्तुत किया जाता है या शीपिंग बिल या निर्यात बिल, जैसा भी मामला हो, प्रस्तुत किया जाता है, जैसा कि धारा 50 में वर्णित है।

(1 ए) उपधारा (1) के प्रावधानों के अधीन आयातित माल के संबंध में इस उपधारा में निर्दिष्ट कीमत इस संबंध में बनाये गये नियमों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

(2) उप धारा (1) या उपधारा (1 ए) में किसी बात के बावजूद, यदि केन्द्र सरकार संतुष्ट है कि ऐसा करना आवश्यक या समुचित है तो वह आधिकारिक राज पत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे या सामान माल के मूल्य की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए और जहां ऐसे कोई टैरिफ मूल्य तय है। आयातित माल या निर्यात माल के किसी भी वर्ग की टैरिफ कीमत तय कर सकती है, शुल्क टैरिफ कीमत के अनुसार देय होगा।

(3):....”

16. उपरोक्त अधिनियम की धारा उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत टैरिफ के मूल्यांकन के उद्देश्य से माल के मूल्य का निर्धारण करने के लिए लागू होगी, जिसके तहत किसी भी सामान पर उनके मूल्य के संदर्भ में सीमा शुल्क लगाया जाता है। वर्तमान मामले में प्रश्नगत माल के निर्यात पर अधिनियम के तहत कोई शुल्क देय नहीं था इसीलिए यह तर्क दिया गया कि उक्त धारा में निर्धारित माप दण्डों को लागू करके माल के मूल्य का निर्धारण करने के लिए धारा 14 के आवेदन कि कोई गुंजाईश नहीं है। हमारे विचार में यह निवेदन स्वीकार किया जा सकता है। वस्तुओं के निर्यात मूल्य का निर्धारण करने के लिए, हमें अधिनियम की धारा 2

(41) में किये गये मूल्य शब्द के अर्थ का उल्लेख करना होगा। धारा 14 की उपधारा 1 में प्रावधानों के अनुसार जो विशेष रूप से प्रदान करता है कि किसी भी सामान के संबंध में मूल्य का अर्थ उसके अनुसार निर्धारित मूल्य है इसलिए यदि माल का निर्यात मूल्य निर्धारित किया जाना है, तो भले की कोई शुल्क नहीं लगाया जाने वाला है, धारा 14 में माल के मूल्य को निर्धारित करने की विधि (रीति) की पालन करना आवश्यक है।

धारा 14 विशेष रूप से प्रावधान करती है कि निर्यात के प्रयोजन के लिए मूल्य का आकलन करने के मामलों में, मूल्य उस कीमत पर निर्धारित किया जाना चाहिए जिस पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार के दौरान निर्यात के स्थान पर ऐसे या समान सामान आमतौर पर बेचे जाते हैं या बिक्री के लिए पेश किये जाते हैं, जहां विक्रेता और खरीददार को एक-दूसरे के व्यवसाय में कोई दिलचस्पी नहीं है और बिक्री के लिए कीमत ही एक मात्र विचार है। इसमें कोई संदेह नहीं है, कि धारा 14 माल पर लगने वाले टेरिफ या सीमा शुल्क के उद्देश्य से माल का मूल्य निर्धारित करने के लिए लागू होगी। इसके अलावा, धारा 2 की उप धारा (41) के तहत प्रदान किये गये सामान के निर्यात मूल्य को निर्धारित करने के लिए संदर्भ का सहारा लिया जाना चाहिए और इसे लागू किया जाना चाहिए। यह निर्यात किये जाने वाले सामान की मूल्यांकन क्षमता के किसी भी प्रश्न से स्वतंत्र है। इसलिए, यह पता लगाने के लिए कि क्या निर्यात मूल्य वास्तव में शिपिंग

बिल में बताया गया है, भले ही कोई शुल्क नहीं लगाया गया हो, निर्यात किये जाने वाले माल के वास्तविक निर्यात मूल्य का निर्धारण करने के लिए इसे संदर्भित किया जा सकता है।

17. यह सच है कि अधिनियम की धारा 50 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि माल निर्यात करने से पहले निर्यातक को निर्यात किये जाने वाले माल के मामले में उचित अधिकारी को, एक शिपिंग बिल और निर्यात का बिल पेश करके उसकी प्रविष्टि करनी होगी। निर्धारित प्रपत्र. शिपिंग बिल और निर्यात बिल (फार्म) विनियम, 1991 अन्य बातों के साथ-साथ उक्त मंच निर्धारित करता है। इसके बाद मंच में संशोधन 15.06.2001 से लागू किया गया। यह कहा गया है कि निर्यातक को “मूल्य-एफओबी/पीएमवी जहां लागू हो” बताना होगा। हमें इस अपील में इस पहलू से निपटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माल को वर्ष 1998 में निर्यात करने की मांग की गई थी।

18. उपरोक्त प्रावधानों से, मुख्य रूप से, अधिनियम की धारा 2 (41) सपठित धारा 14 और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 18 से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि:-

(ए) निर्यातक को माल का पूरा निर्यात मूल्य घोषित करना होगा (निर्यात किये गये माल के लिए बिक्री पर विचार)

(बी) निर्यातक को यह पुष्टि करनी होगी की माल का पूरा निर्यात मूल्य निर्धारित तरीके से प्राप्त होगा।

(सी) यदि माल का पूर्ण निर्यात मूल्य सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है, तो निर्यातक को विदेशी बाजार में माल की बिक्री पर जो मूल्य प्राप्त होने की उम्मीद है।

(डी) निर्यातक को माल का सही या सही निर्यात मूल्य घोषित करना होगा, अर्थात् माल की सही बिक्री पर विचार करना होगा। अधिनियम की धारा 14 के तहत कीमत का मानदंड यह है कि जिस पर ऐसे या अन्य सामान आमतौर पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार के दौरान बेचे जाते हैं या बिक्री के लिए पेश किये जाते हैं, जहां विक्रेता और खरीददार को एक-दूसरे के व्यवसाय में कोई दिलचस्पी नहीं है और कीमत ही एक मात्र बिक्री के लिए विचार है या बिक्री के लिए प्रस्ताव।

19. इसी आशय का समान प्रावधान विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) नियम, 1993 के नियम 11 में किया गया है। इस नियम को विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 11 (1) के साथ पढा जाना चाहिए, जो अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान

करता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियम और आदेशों और निर्यात और आयात को समय के साथ लागू होने वाली नीति के सिवाय किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई निर्यात या आयात नहीं किया जायेगा। नियम 11 इस प्रकार है:-

‘11. आयातित माल के मूल्य और गुणवत्ता के बारे में घोषणा- किसी भी माल के किसी भी सीमा शुल्क बंदरगाह में आयात या निर्यात पर, चाहे शुल्क के लिए उत्तरदायी हो या नहीं, ऐसे माल का मालिक प्रवेश के बिल में होगा या शिपिंग बिल या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के तहत निर्धारित कोई अन्य दस्तावेज, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार ऐसे माल का मूल्य, गुणवत्ता और विवरण बताएं और माल के निर्यात के मामले में प्रमाणित करें कि उन दस्तावेजों में बताई गई वस्तुओं की गुणवत्ता और विशिष्टताएं खरीदार या परेषिती के साथ किए गए निर्यात अनुबंध की शर्तों के अनुसार है, जिसके अनुसरण में सामान निर्यात किया जा रहा है और ऐसे प्रवेश बिल का शिपिंग बिल या अन्य किसी दस्तावेज के नीचे उक्त कथन की सत्यता की घोषणा के लिए सदस्यता लेनी होगी।”

20. इसलिए, ऐसे मामलों में जहां निर्यात मूल्य ढंग से नहीं बताया गया है, लेकिन किसी अन्य उद्देश्य के लिए जानबूझकर अधिक चालान किया गया है, अर्थात् माल की सही बिक्री पर विचार नहीं किया गया है, तो यह शर्तों का उल्लंघन होगा। माल के आयात/निर्यात के लिए उद्देश्य, मनी लॉन्ड्रिंग या कोई अन्य उद्देश्य हो सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से अवैध/अनाधिकृत धन लेन-देन की श्रेणी में आएगा। किसी भी स्थिति में, निर्यात वस्तुओं के अधिक चालान के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा में अवैध/अनियमित लेनेदेन होगा।”

8. यह सीईजीएटी के लिए उचित होगा जिसने उच्च पीठ के फैसले के प्रभाव पर विचार नहीं किया था, जिसे अपीलों पर दोबारा सुनवाई करने के लिए ओम प्रकाश के मामले (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय की मंजूरी मिली थी। इसलिए, हम सीईजीएटी के आदेश को रद्द करते हैं और मामले को ओम प्रकाश (पूर्वोक्त) के मामले में निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुये नये सिरे से विचार करते हुये प्रेषित करते हैं। ।

9. उपरोक्त सीमा तक अपीले स्वीकार की जाती हैं।

सिविल अपील संख्या 140-143/2004

10. तथ्यात्मक स्थिति लगभग 2002 में सी.ए. संख्या 4559-4561 के समान है सिवाय इसके कि वर्तमान मामले में अपीलकर्ता ने समीक्षा के लिए एक आवेदन दायर किया था जिसे खारिज कर दिया गया था।

11. संबंधित सिविल अपीलों में व्यक्त दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए हम इन अपीलों को अनुमति देते हैं और मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए सीईजीएटी को प्रेषित करते हैं। गौरतलब है कि सीईजीएटी को वर्तमान में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधीकरण के नाम से जाना जाता है।

12. अपील स्वीकार की जाती है।

एस.के.एस.

अपील स्वीकार की गई।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक, न्यायिक अधिकारी रचना मीणा (आर. जे. एस.) द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।